

उत्तर एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम  
प्रेस नोट

चंडीगढ़, 02 अगस्त - हरियाणा में बिजली निगमों ने बिजली चोरी रोकने के अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। मात्र जुलाई माह में प्रदेश भर से 58 करोड़ रुपए से अधिक की बिजली चोरी पकड़ कर बिजली निगमों ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें से 21 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना दोषी उपभोक्ताओं से वसूला जा चुका है। इससे पहले जून माह में पूरे प्रदेश में 40 करोड़ की बिजली चोरी पकड़ी गई थी। यह आंकड़ा मई में लगभग 35 करोड़ रुपए था।

यह जानकारी देते हुए बिजली निगमों के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि पिछले कुछ महीनों में दोनों बिजली निगमों एवं विजिलेंस विभाग के कर्मचारी/अधिकारी बिजली चोरी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेशवासियों की ओर से भी बिजली चोरी रोकने के लिए सहयोग मिल रहा है। परिणामस्वरूप गत माह में निगमों ने 16214 बिजली चोरों पर 58.48 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाकर बिजली चोरी पकड़ने में भारी सफलता प्राप्त की है। इस माह में निगमों ने दोषी उपभोक्ताओं से 21.10 करोड़ रुपए जुर्माना वसूल किया है।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से जून माह में 6945 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए, जिन्हें 28.35 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, इसमें से 11.48 करोड़ रुपए वसूले गए। वहीं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से जून माह में 9269 बिजली चोरी के मामलों में 30.13 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया, जिसमें से 9.62 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं।

उन्होंने आगे बताया कि गत माह में प्रदेश भर में भारी संख्या में आर. ओ. वाटर प्लांट, पोल्टी फार्मों, होटल/रेस्टोरेंट व लघु उद्योगों में बिजली चोरी के मामले सामने आए हैं। विभाग द्वारा दोषी उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। जुर्माना न जमा करवाने वाले दोषियों पर एफ.आई.आर. दर्ज करवा, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। विभाग द्वारा बिजली चोरी में सम्मिलित सरकारी कर्मचारियों पर जुर्माने के साथ-साथ विभागीय कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभाग को भी सूचित किया जा रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर 18001801011 स्थापित किया है। जिस पर भारी संख्या में जागरूक उपभोक्ताओं द्वारा लगातार बिजली चोरी की सूचनाएं दी जा रही हैं। सूचना देने वाले व्यक्ति को बिजली चोरी पकड़े जाने पर विभाग द्वारा लगाए गए जुर्माने का 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जा रहा है और उनकी पहचान को गुप्त रखा जाता है। इस टोल फ्री नंबर पर कार्य दिवस में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक सूचना दी जा सकती है।